उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या : 19/2024/1700/94-1-2024-312(25)/2022
लखनऊ, दिनांक : 18 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1908) की धारा 5 और 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-10/2022/285/94-1-2022-312(25)/2022 दिनांक 29 जुलाई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या-21 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी अर्थात् :-

22	**लखनऊ**	**सरोजनी नगर, प्रथम**
		सरोजनी नगर, द्वितीय

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2024/1700/94-1-2024-312(25)/2022 दिनांक : 18 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-19/2024/1700/94-1-2024-312(25)/2022 दिनांक : 18 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, लखनऊ।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, लखनऊ।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ।
12. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 19/2024/1700/94-1-2024-312 (25)/2022 dated 18 November, 2024:

Notification

No. 19/2024/1700/94-1-2024-312(25)/2022
Lucknow; Dated : 18 November, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, is pleased to make the following amendment in Government notification no. 10/2022/285/94-1-2022-312(25)/ 2022 dated 29 July, 2022, as amended from time to time:

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification, after serial number 21 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be inserted, namely:-

22	Lucknow	Sarojini Nagar-First Sarojini Nagar-Second

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।